Greater Noida Industrial Development Authority

169, Chitvan Estate Sector-Gamma, Greater Noida, Gautam Budh Nagar, 201308

PLG/(BP) 3914 181 Dated 25:01:201.7

M/s AR LANDCRAFT LLP A-66, SECTOR- 63, NOIDA, Distt. G.B. Nagar

CONDITIONAL with respect point no vis-à-vis notification 60(A) dated 27-1-1994 and its amendment from time to time and notification dated 14-09,2006 issued by Ministry of Environment & Forest and point no. 18 vis-à-vis guidelines dt.15.11.2012 of C.G.W.A.

With reference to your application no- 462, dated- 10-01-2017 for grant of Revised Sanction of Sir, {RESIDENTIAL CLUSTER-A (TOWER A1, A2, B1, E,CLUB,), RESIDENTIAL CLUSTER-B (TOWER -D) RECRATIONAL CLUSTER- C (TOWERS B2,C1,C2,), RECRATIONAL CLUSTER- D (TOWERS B2, C1,C2,), MAIN CLUB, CLUB-2, CLUB-3, CLUB-4, COMMERCIAL BUILDING, UTILITY-1|&2, GUARD ROOM, METER ROOM} on Plot no. REP-01, Sector- 27, Greater Noida This is to inform you that the sanction is being granted by the Authority with the following conditions:

1. This sanction is being granted under the provision of 'The Greater Noida Industrial Development Area Building Regulation 2010.

In case allotment is cancelled/lease in determine for whatsoever reason by functional department, aforesaid sanction shall automatically be deemed to have been withdrawn.

During this period, after the completion of construction it is necessary to apply for occupancy certificate. Time extension

If demanded by the Authority. You shall be liable to pay charges for the provision of any further

A copy of the sanction drawing shall always be kept at site and shall be made available to any officer of the Authority on

No addition/alteration is permitted in the sanctioned drawings. For any changes prior permission form the Authority

You shall be responsible for carrying out the work in accordance with the requirements of Greater Noida Industrial Development Building Regulation 2010, and direction made form time to time.

Prior permission is required before digging an under ground bore well.

10. No activity other than as specified in lease deed shall be permitted in the premises

11. Prior permission is permission from the Authority is required for temporary structure also like labour huts & site office

12. Gate shall open on to the service road only. Direct access to the main carriageway shall not be provided.

13. Services, rain water harvesting shall be laid as per approval of Authority.

14. No parking of any kind shall be permitted on r/w of road.

15. Pejometer shall have to be installed as per direction issued by Authority.

16. Complying with all the requirement for obtaining NOC from various departments prior to submission of application for occupancy shall be the responsibility of allottee irrespective of the proposal sanctioned by GNIDA.

17. Before starting construction, the NOC is required from Ministry of Environment & Forest under notification no-60(A) dated 27-1-1994 and its amendment from time to time or under notification dated 14-09-2006 which ever is applicable. The copy of shall be submitted to the Authority. If construction is started before obtaining the NOC,

18. Before starting construction, the NOC is required from Central Ground Water Authority under notification dated 15.11.2012. The copy of N.O.C. from C.G.W.A. shall be submitted to the Authority. If construction is started before obtaining the NOC, the sanction shall be treated as cancelled.

19. Mechanical ventilation to be provided in the basement as per 1.S Code

20. The promotrs shall follow provisions of UP Appartment Act, 2010 and its applicability to the project as per defined rules and amendments made in future. As per the provision of UP Appartment Rules 2011.

21. The construction on the plot shall have to be done in accordance with the provision of MOEF Guidelines 2010 and

Hon'ble NGT orders form time to time in this regard.

22. The promoter shall inform the office of GM (Plng) for site visite when construction upto plinth level and Gr. Floor Slab level is reached. After clearance from planning department the promoter can go ahead with Construction beyond plinth level & Ground Floor Slab.

G.M. (Ping&Arch)

Copy of sanctioned drawings () Copy to: G.M. (Engg.) for information and n.a./ Manager (Commercial) for information and n.a.

G.M. (Ping&Arch)

कार्यालय संयुक्त निदेशक पत्रांक:भ-26 / जेडी / फा०स० / लखनऊ—15(गौतग०) / | 2 सेया मे

मुख्यालय उ०प्र० लखनऊ। दिनांकः जनवरी 🔿 ᅻ 2017,

महाप्रबन्धक (वास्तु एवं नियोजन) ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण,

गौतमबुद्धनगर।

विषयः

मैसर्स ए०आर० लैण्डकाफ्ट प्रा० लि० द्वारा प्लाट न०-आर०ई०पी०-1, सेक्टर-27, ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर में प्रस्तावित ग्रुप हाऊसिंग भवन (क्लस्टर-ए०, बी०, सी०, डी०, एवं क्लब-02, 04, व मेन क्लब एवं यूटिलिटी-01, 02 व कामर्शियल) के निर्माण हेतु संशोधित प्रोपीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण निर्गत किये जाने के सम्बन्ध मे।

फायर सर्विस

सन्दर्भः महोदय

यूआईडी:2015/11065/जीबीएन/गौतमबुद्धनगर/2195/जे०डी०

कृपया उपरोक्त विषयक आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से उक्त प्रश्नगत प्लाट पर प्रस्तावित आवासीय भवन निर्माण हेतु मानचित्र उपलब्ध कराते हुए संशोधित प्रोवीजनल अनिशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्मत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रश्नगत भवन के स्थल का निरीक्षण एवं मानचित्रों का अध्ययन अग्निशमन अधिकारी सूरजपुर ग्रेटर नौएडा से कराया गया तो उनके हारा अपनी संस्तृति आख्या दिनांकः 03-01-2017 मुख्य अग्निशमन अधिकारी गाँतमगुद्धनगर को उपलब्ध करायी गयी जिसका सुसंगत मानकों के अनुसार परीक्षण कर उनके हारा अपनी संस्तृति आख्या दिनांकः 06-01-2017 उपनिदेशक फायर सर्विस भेरठ को उपलब्ध करायी गयी तथा उपनिदेशक फाठश्च मंदर हारा अभिनेश्वां का परीक्षण कर अपनी संस्तृति आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायी गयी जिसका विवरण निम्नवत है:-

भवन की संरचना:-कुल भूखण्ड/प्लाट एरिया-4,03575.00 वर्ग मी० जिसमे प्रस्तावित ब्लाक/टावरों की अनापत्ति प्रमाण पत्र पूर्व मे इस कार्यालय के पत्रांकः म- 26 /जेडी/फा०स०/लखनऊ 15, दिनांकः जून 2015 के माध्यम से निर्गत किया गया है, प्रस्तावित भवनों का संविधित एरिया विवरण निम्नयत है:-

季 07	क0स ं नाम ब्लॉक / टावर		तलों का विवरण	टिपिकल कवर्ड एरिया वर्ग मी०	जचॉई मी 0।
1	(बलस्टर-ए०)	टावर-ए0-1, 02,	बेस0, स्टिल्ट/भूतल एवं 19 तल	387.95 प्रत्येक	59.65 प्रत्येक
		टावर-बी०-1,	वेरा०, रिटल्ट/गूतल एवं 19 तल	492.942	59.65
		टावर-ई	वेसा0, स्टिल्ट / भूतल एवं 36 तल	529.30	109,80
		वलब-ए०,	भूतल एवं प्रथम तल	602.09	09.65
2	(क्लस्टर-बी०)	टावर-डी०	वेस0, भूतल/स्टिल्ट एवं 21 तल	2165.39	64.05
3	(क्लस्टर-सी0)	टावर-बी०-०२,	बेस0, भूतल एवं 08 तल	492,942	24.00
		टावर-सी0-01, 02,	बेस0, भूतल एवं 08 तल	627.024 प्रत्येक	24.00
4	(क्लस्टर—डी०)	टावर-बी०-02,	02बेस0, भूतल एवं 08 तल	492.942	24.00
		सी० -01, 02,	02बेस0, भूतल एवं 08 तल	627.024 प्रत्येक	24.00
5	मेन क्लब		02बेस0, भूतल एवं 05 तल	840.22 / 810.93 440.89 / 215.58	23.95
6	.वलब-02	-	०२बेस०, भूतल एवं ०२ तल	185.53 / 91.89	14.40
7	क्लब-03	-	०२वेस०, भूतल एवं ०२ तल	364.033 / 169.611	20,40
8	वलब—04	¥	02वेस0, भूतल एवं 03 तल	346.291 / 169.956 150.377	18.90
9	यूटिलिही-01.	A	भूतल	107.40	03.10/

(প্রথবিদ্ধ স্কুপান্ধ) ব্যাহর বিশ্বীস্থা শার্ম ক্লাইন



एव	02			05.90
11 कार	ार्शियल –	भृतल एवं प्रथम	457.786	09.20

बेसमेन्ट:- प्रश्नगत भवन में बेसमेन्ट एरिया-76,108.299 वर्ष मी० प्रस्तावित है।

भवन का अधिभोग विवरण:- प्रस्तावित भवन का अधिभोग आवासीय अपार्टमेन्ट (एन०बी०सी-2005 आवसीय श्रेणी ए०-४) के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढांचागत व्यवस्था:-

1-पहुँच मार्गः-भूखण्ड के सामने मानचित्रों मे रोड की चीढाई 60 मीठ मानको के अनुसार अकित की गई है जो भवन विनियमावली के मानको के अनुसार है तथा प्रवेश द्वार जिनकी चौडाई एन०बी०सीठ मानक के अनुसार है।

2-सैटबेक:- प्रस्तावित भवन का सेटबेक निम्नवत है:-

ए०-अग्रभाग-16.00 मी0।

बी0-पृष्ट भाग-16.00 मी0।

सी0-पार्श्व भाग प्रथम-12.00 मी०।

डी0-पार्श्व भाग द्वितीय-16.00 मी0।

उपरोक्तानुसार भवन विनियमावली मानकों के अनुसार है जो सदैव हार्ड रारफेस युवत एवं अवरोध मुक्त रखे जाये जिसमें किसी प्रकार का स्थाई/अस्थायी निर्माण कार्य अनुमन्य नहीं होगा तथा टावरों के चारों और 06 मीटर का मोटरेबुल हार्ड सरफेरा युक्त खुला स्थान रखा जाना अनिवार्य है।

3—निकास मार्गः—प्रस्तावित भवन के प्रत्येक ब्लाक में स्टेयरकेंस तालिकानुसार है, जिनकी फ्लोर के समस्त स्थानों से ट्रेविलंग हिस्टेन्स अधिवतम अनुमन्द सीमा वे अनुमन्द सीमा वे उपनर्यंत हैं. इण्टरनल स्टेयकेंस का निर्माण एन०बी०सी० के भाग—4 के बिन्दु संख्या—4.9 से 4.9.10 तक तथा एक्सटरनल स्टेयरकेंस का निर्माण एन०बी०सी० के भाग—4 के बिन्दु संख्या—4.11 से 4.11.11 तक के अनुसार एवं रैम्प का निर्माण एनबी०सी० के भाग—4 के बिन्दु संख्या—4.14.1 से 4.14.3 के अनुसार किया जायेगा।

4-रिपयूज एरिया:- भवन में रिफयूज एरिया हेतु प्रत्येक पत्तेट पर बालकनी का प्राविधान है. जो एनववीवसीव मानक के अनुसार है।

5-इण्टर**िस्टेन्स विटवीन ब्लाक**:- भवन में इण्टरिडिस्टेन्स बिटवीन ब्लाक उपविधि के अनुसार अनुसन्य होगे।

ध-अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था:- एन०वी०सी० २००५ के अनुसार निम्नोकित अग्निशमन व्यवस्थाएँ कराया जाना प्राविधानित है।

1 भूगिगतः—प्रश्नगत भवन में 2,00,000 दो लाख लीटर धगता के 02 अदद भूगिगत टैंक एन०वी०सी० मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

2-पम्पस:-प्रत्येक भूमिगत टैंक के पास 2850 एल०पी०एम० क्षमता के 02 अदब भेन प्रम्प इतनी ही क्षमता का एक अदद डीजल चालित पम्प तथा 01 अदद जौकी पम्प मानकों के अनुसार स्थापित कराये जाने प्राविधानित हैं।

3-टेरिस टैंक:- प्रश्नगत प्रत्येक टावर की टेरिस पर टेरिस टैंक क्षमता 10,000.00 दस हजार ली०, स्थापित कराया जाना एन०बी०सी० मानक के अनुसार प्राविधानित है।

4—होजरील:- प्रस्तावित भवन मे प्रत्येक टावर मे प्रत्येक तल पर होजरील एग०बी०सी० मानको के अनुसार प्राविधानित है।

5—वेटराईजरः— प्रस्तायित भवन मे 150 एमएम का वेटराइजर एन०वी०सीठ एवं भारतीय मानक ब्यूरो आई०एस०—3844 मानको के अनुसार प्रविधानित है।


6-यार्ड हाईड्रेण्टस:- प्रस्तावित भवन मे 150 एमएम का वेटराइजर का प्राविधान तथा उस पर यार्ड हाईड्रेण्टस एवं फायर सर्विस इन्लेट का मानको के अनुसार प्राविधानित है।

7-आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम:- समस्त टावरों के सम्पूर्ण तल पर ऑटोमेटिक रिप्रंकलर सिस्टम एन०बी०सी० एवं सम्बन्धित मानको के अनुसार प्राविधानित है।

8—आटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टमः— 60 मीटर से ऊ टावरों के सम्पूर्ण तलो पर ऑटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टम एन०बी०सी० मानक के अनुसार प्राविधानित है।

9-मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम:- सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरों में मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम एन०बी०सी० मानक के अनुसार प्राविधानित हैं।

10-प्राथिनक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सिटिंग्यूशर):- प्रस्तावित भवन मे निर्माण के उपरान्त फायर एक्सिटिंग्यूशर आई०एस०- 2190 के अनुसार वॉध्धनीय है।





11-स्मोक एक्स्ट्रेंक्शन:- प्रश्नगत भवन के वेसमेन्ट में मैकेनिकल स्मोक एक्स्ट्रेक्शन एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

12-एग्जिट साईनेज:- सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरों में एग्जिट साईनेज एन०बी०सी० मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

13-पी०ए० सिस्टम:- सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरों में पी०ए० सिस्टम एन०बी०सी० मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

14-कम्पार्टमेन्टेशन:- प्रश्नगत भवन के बेसमेन्ट में कम्पार्टमेन्टेशन एन०बी०सी० मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

15-प्रश्नगत भवन मे इमरजेन्सी / स्कंप लाईटिंग एन०बी०सी०-2005 पार्ट-4 मे उल्लेखित प्राविधानों के अनुसार कराया जाना आवश्यक होगा। 16-भवन मे निर्माण के पश्चात व उपयोग से पूर्व भवन मे अधिष्टापित अग्निशमन प्रणाली के कुशल संचालन व सदैव कार्यशील बनाये रखने

16—मवन में निर्माण के पश्चात व उपयोग से पूर्व भवन में अधिष्ठापित आग्नशमन प्रणाला के कुशल संवालन व संवय कायर हेतु एन०बी०सी० पार्ट-4 के प्रस्तर सी०-5.सी-6.सी-7.सी-8 एवं सी-9 में उल्लेखित मानको का पालन अनिवार्य होगा।

हतु एनवर्गाण्याण पाट-व के प्रस्तार साम-इस्ता-इस

फायर सेफ डक्ट से सुरक्षित करते हुये जोडा जाना आवश्यक होगा।

अतः उपरोक्तानुसार मैसर्स ए०आर० लैण्डकापट प्रा० लि० द्वारा प्लाट न०-आर०ई०पी०-1, सेक्टर-27, ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर में प्रस्तावित भवन के निर्माण हेतु संशोधित प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2010 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 एवं तत्समय पृवत्त किसी अन्य विधि में उल्लेखित मानकों के अनुसार करायें जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानकों के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर स्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण क्षेत्र अस्थाई अनापत्ति

प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नकः अनुमोदित मानचित्र।

मं यु रेशि निर्देशक प्रमुख्य । प्रयुक्त निर्देशक प्रमुख्य ।

ত্ত০प्र० लखनऊ।

प्रतिलिपि:1-उपनिदेशक फायर सर्विस भेरठ/सहारनपुर परिक्षेत्र को अनुपालनार्थ।

2-मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर को अनुपालनार्थ।

3-अग्निशमन अधिकारी सूरजपुर ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर को अनुपालनार्थ।

4-मैसर्स ए०आर० लैण्डकाफ्ट प्रा० लि० द्वारा प्लाट न०-आर०ई०पी०-1, सेक्टर-27, ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्दनगर को उक्त के सन्दर्भ मे अनुपालनार्थ।



Greater Noida Industrial Development Authority

169, Chitvan Estate Sector-Gamma, Greater Noida, Gautam Budh Nagar, 201306

PLG/(BP) 3459/VIL-2/253 Dated 13 - 91- 2-91.7

To,

M/s ÀR LANDCRAFT LLP A-66, SECTOR- 63, NOIDA, Distt. G.B. Nagar

CONDITIONAL with respect point no vis-a-vis notification 60(A) dated 27-1-1994 and its amendment from time to time and notification dated 14-09.2006 issued by Ministry Environment & Forest and point no. 20 vis-à-vis guidelines dt.15.11.2012 of C.G.W.A.

With reference to your application no- 76759, dated-27-12-2016 For grant of Revised Sanction of layout plan on Plot no. REP-01, Sector- 27, Greater Noida This is to inform you that the sauction is being granted by the Authority with the following conditions

- 1. This sanction is being granted under the provision of 'The Greater Nolda Industrial Development Area Building Regulation 2010.
- The validity of this sanction is up to-5 Years
- In case allotment is cancelled/lease in determine for whatsoever reason by functional department, aforesaid sanction shall automatically be deemed to have been withdrawn.
- 4. During this period, after the completion of construction it is necessary to apply for occupancy certificate. Time extension charge shall be payable as applicable.
- 5. If demanded by the Authority. You shall be liable to pay charges for the provision of any further facilities/development/improvement,
- 6. A copy of the sanction drawing shall always be kept at site and shall be made available to any officer of the
- 7. No addition/alteration is permitted in the sanctioned drawings. For any changes prior permission form the
- You shall be responsible for carrying out the work in accordance with the requirements of Greater Noida Industrial Development Building Regulation 2005, and direction made form time to time.
- Prior permission is required before digging an under ground bore well.
- 10. No activity other than as specified in lease deed shall be permitted in the premises
- 11. Prior permission is permission from the Authority is required for temporary structure also like labour huts &
- 12. Gate shall open on to the service road only. Direct access to the main carriageway shall not be provided.
- 13. Services, rain water harvesting shall be laid as per approval of Authority.
- 14. No parking of any kind shall be permitted on r/w of road.
- 15. Pejometer shall have to be installed as per direction issued by Authority.
- 16. Complying with all the requirement for obtaining NOC from various departments prior to submission of application for occupancy shall be the responsibility of allottee irrespective of the proposal sanctioned by
- 17. Before starting construction, the NOC is required from Ministry of Environment & Forest under notification no-60(A) dated 27-1-1994 and its amendment from time to time or under notification dated 14-09-2006 which ever is applicable. The copy of shall be submitted to the Authority. If construction is started before obtaining the NOC, the sanction shall be treated as cancelled.
- 18. Before starting construction, the NOC is required from Central Ground Water Authority under notification dated 15.11.2012. The copy of N.O.C. from C.G.W.A. shall be submitted to the Authority. If construction is started before obtaining the NOC, the sanction shall be treated as cancelled.
- 19. Mechanical ventilation to be provided in the basement as per LS Code
- 20. The promoter shall follow the appartment Act-2010 and its applicability to the project as per defined rules and amendments made in future. As per the provision of U.P. Appartment Rules 2011.

LEENU SAHGAL G.M. (Plng&Arch)

Copy of sanctioned drawings () Copy to: G.M. (Engg.) for information and n.a.



कार्यालय संयुक्त निदेशक फायर सर्विस मुख्यालय लखनक। पत्रांकः १४–२६ / जेडी / फा०स० / मेरट–१५ / उ

महाप्रबन्धक (वास्तु एवं नियोजक), ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण,

गौतमबुद्धनगर।

विषय:

मैसर्स ए०आर० लैण्डकाफट एलएलपी द्वारा प्लाट न० आरईपी-1, सेक्टर-27 ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर में प्रस्तावित मवनों के निर्माण हेतु संशोधित मास्टर ले आउट प्लान (साइट प्लान) स्वीकृति हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन

अनापत्ति प्रमाण पत्र का निर्गत किया जाना।

यूआईडी महोदय, 2015/10076/जीबीएन/गौतमबुद्धनगर/1874/जेडी

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रश्नगत प्रस्तावित मवनों के निर्माण हेतु तलपट योजना स्वीकृति हेतु संशोधित प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया हैं।

जनत के अनुपालन में प्रस्तुत मानचित्रों का परीक्षण अग्निशमन अधिकारी ईकोटेक—3, ग्रेटर नौएडा द्वारा कर अपनी संस्तुति आख्या दिनांकः 01—09—2016 मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर को उपलब्ध करायी गयी तथा उनके द्वारा आख्या एवं मानचित्रों का सुसंगत मानकों के अनुसार परीक्षण कर अपनी संस्तुति आख्या उपनिदेशक कायर सर्विस मेरट परिक्षेत्र को उपलब्ध करायी गयी। उपलब्ध कराई गयी आख्याओं एवं मानचित्रों का सुसंगत मानकों के अनुसार परीक्षण कर उनके द्वारा अपनी संस्तुति आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायी गयी जिसका एरिया विवरण निम्नदत्त है:—

भवन संरचना—प्रश्नगत भवन की पूर्व मे अनापत्ति प्रमाण इस कार्यालय के समांक पत्र दिनांकः 23—05—2015 एवं सितम्बर 2016 के माध्यम से निर्गत की गयी है।

1—मानचित्रों के अनुसार कुल प्लाट एरिया—4,03,575.00 वर्ग मी० अर्थात 100 एकड है जिसमे आवासीय भवन(विलाज, अपार्टमेन्ट एवं क्लब) आदि प्रस्तावित है।

ढाचागत व्यवस्था:-

1—पहुँच मार्ग— मानचित्रों मे प्लाटों के सामने रोड की चोडाई 60, 18 एवं 12 मीटर मानको के अनुसार अकित की गई है जिस पर अग्निशमन वाहन सुगमता पूर्वक आ जा सकते है।

2-प्रवेश द्वार- प्रवेश द्वार की चौडाई 06.00 मी0 से कम एवं गेट पर आर्च होने की दशा मे न्यून्तम ऊँचाई 06 मी0 (एण्ट्री एवं एग्जिट) मानको के रखी जानी अनिवार्य होगी।

3-सैटबेक- प्रत्येक प्लाट में सैटबेक नौएडा भवन विनियमावली के अनुसार छोड़े जाने अनिवार्य होगे तथा इण्टरनल रोड की चौडाई भवन विनियमावली के अनुसार छोड़े जाने अनिवार्य होगे।

4—इण्टर हिस्टेन्स बिटविन ब्लाक— प्रत्येक प्लाट में इण्टर हिस्टेन्स बिटविन ब्लाक भवन विनियमावली के अनुसार सैटबेक छोड़े गये हैं जिनको बनाये रखा जाना अनिवार्य है तथा इण्टरनल रोड की चौड़ाई भवन विनियमावली के अनुसार छोड़े जाने अनिवार्य होगे।


अग्निशमन व्यवस्था-

1—समस्त टाउनशिप में 02 रथानों पर अग्नि सुरक्षा हेतु भूमिगत टेंक क्षमता 2,00,000 दो लाख ली० एवं 2280 एपीएम क्षमता का मैन विद्युत चालित पग्प इतनी ही क्षमता का डीजल चालित पग्प एवं 180 एलपीएम क्षमता का जौकी पम्प एवं पूरे परिसर में 45 मी० पर यार्ड हाईड्रेण्टर की स्थापना एन0बी०सी० मानकों के अनुसार वॉच्छनीय है जिनकों ले आउट में सांकेतिक किया गया है।

2—आवेदक द्वारा मानचित्रों में प्रस्तावित अलग अलग फैशिल्टिजि को सांकेतिक किया गया है जिनमें फायर सर्विस वाहनों की मोटरेबिल्टी दर्शायी गई जिनके मानचित्रों में इण्टर डिस्टेन्स बिटविन ब्लाक एन०बी०सी० मानकों के अनुसार रखी जानी अनिवार्य होगी।

3—ले आउट में नियोजित भवनों हेतु मानचित्र तैयार कर अलग से स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य होगी जिनके अलग अलग भवनों मे व्ययस्थाएँ एन०बी०सी० मानक के अनुसार वॉच्छनीय होगी।

4-ले आउट में दशीये गये रोड को हार्ड मोटरेब्ल रखा जाना अनिवार्य होगा।





अत उपरोक्तानुसार मैसर्स ए०आर० लैण्डकाफट एल०एलपी द्वारा प्लाट न० आरईपी-1, सेक्टर-27 ग्रेटर नीएडा जनपद गौतमबुद्धनगर मे प्रस्तावित संशोधित मास्टर ले आउट प्लान (साइट प्लान) हेतु अग्निशमन विभाग को मानको के अनुसार किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है, तथा इस प्लान में प्रस्तावित मवनों के निर्माण हेतु मानचित्रों पर अलग से स्वीकृति प्राप्त की जानी अनि

त्तंपुक्त निर्वेशयक्षप्राक्ष्मका चित्रं विषयिका

प्रतिलिपिः 1—उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ परिक्षेत्र को अनुपालनार्थ। 2—मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर को अनुपालनार्थ। 3—अग्निशमन अधिकारी इकोटेक-3, ग्रेटर नोएडा को अनुपालनार्थ

4-मैसर्स ए०आर० लैण्डकाफट एलएलपी द्वारा प्लाट न० आरईपी-1, सेक्टर-27 ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर को अनुपालनार्थ ।



